लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

क्र स्था–2 / सी / स्था. / 33 / 2011 / 1405 भोपाल दिनांक 2-9-2011

:: आदेश ::

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थानांतरण [illegible] उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्र. 6 में अंकित संस्था मे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए [illegible]
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हे किसी प्रकार के यात्रा [illegible] नही होगी ।

क्र	नाम	यूनिक आई डी क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड	स्थानांतरण संस्था / जिले का नाम	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दुर्गा भदौरिया (हिन्दी)	BG1734	शास. उत्कृष्ट उमावि पोरसा जिला मुरैना	23020177701	शा. उमावि उमरी भिण्ड	23030477704
2	श्रीमती संगीता राव (अर्थ शास्त्र)	AN1818	शा. उमावि. गवली पलासिया मउ, इंदौर	23260277706	शा. क. उमावि. [illegible] नगर, इंदौर	23260[illegible]

30.8.11
[illegible]
लोक शिक्षण [illegible]

पृ क्र स्था–2 / सी / स्था. / 33 / 2011 / 1406 भोपाल दिनांक 2-9-2011

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा / राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग [illegible]
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला मुरैना, भिण्ड, इंदौर म.प्र. ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना, भिण्ड, इंदौर ।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय ग्वालियर, इंदौर ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, मुरैना, भिण्ड, इंदौर ।
7. स्टॉफ आफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना, भिण्ड, इंदौर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित [illegible] संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि [illegible] व्याख्याता वर्तमान मे सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा [illegible] विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है पूर्ण रूप आश्वस्त [illegible] मे कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाए । यदि संबंधित व्याख्याता [illegible] एवं विपरीत जानकारी प्रकाश मे आती है तो आदेश का पालन न करते हुए [illegible] संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जि.शि.अ. निर्देशों का पालन [illegible] उत्तरदायी होगे । आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस [illegible] संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।